जी.डी.एल.-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937

No. 496] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SRAVANA 16, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 619(अ)- संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार विभाग, दूरसंचार लेखा (अवर श्रेणी लिपिक, कनिष्ठ लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1988, जहां यह अवर श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित है, के अधिक्रमण में, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा करने के लिए लोप किए गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतदद्वारा दूरसंचार विभाग में अवर श्रेणी लिपिकों के समूह 'ग' पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :

(1) इन नियमों को संचार लेखा नियंत्रक/राष्ट्रपति संचार वित्त संस्थान के कार्यालयों में दूरसंचार विभाग, समूह 'ग' अवर श्रेणी लिपिक पद भर्ती नियम, 2015 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान: उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगें।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि : इस पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबद्ध अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगें।

4. निरर्हता : कोई ऐसा व्यक्ति :-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है जिसकी पत्नी या पति जीवित है; या

(ख) जिसने पत्नी या पति के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमत है और यह कि ऐसा विवाह करने के अन्य आधार हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति के संबंध में इस नियम को लागू करने से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना अनिवार्य है अथवा व्यावहारिक है, तो यह इसके कारणों को लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा किसी वर्ग के संदर्भ में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

6. अपवाद : इन नियमों की कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	371* (2015) *कार्यभार की घट-बढ़ के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1900/- रुपए	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट: आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञापित तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती की जाएगी या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं पास अथवा समकक्ष: (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव (की-डिप्रेशन) के हिसाब से 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच समरूप हैं)	जी हॉं, कॉलम 10 में दर्शाई गई सीमा तक	दो वर्ष	(i) 85 प्रतिशत पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियों को 1800/-रू. ग्रेड वेतन में कार्यरत ऐसे समूह-ग के कर्मचारियों से विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा पास हों अथवा समकक्ष योग्यता रखते हों और इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। इस परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) है। नोट:यदि उपर्युक्त शर्त (ii) के अंतर्गत परीक्षा को पास

			करने वाले ऐसे कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर अगले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि परीक्षा को पहले पास करने वाले कर्मचारियों के नाम पर परीक्षा को बाद में पास करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियों को 1800/-रू. के ग्रेड वेतन वाले पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके समूह-ग कर्मचारियों में से वरीयता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में, वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
कॉलम 10 में उल्लेख किए गए अनुसार	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) : (1) संचार लेखा नियंत्रक/ महानिदेशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) –अध्यक्ष (2) प्रशासन प्रभारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी -सदस्य (3) उप संचार लेखा नियंत्रक/उप निदेशक –सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. 19-01/2011-एसईए-III-अ.श्रे.लि.]

सौरभ के. तिवारी, उप महानिदेशक (ईएण्डएफ)

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunication)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2015

G.S.R. 619(E).–In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications, Telecommunications Accounts (Lower Division Clerks, Junior Accountants and Senior Accountants) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the posts of Lower Division Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group'C' post of Lower Division Clerks, in the Department of Telecommunications, namely :-

1. **Short title and Commencement.** -

   (1) These rules may be called the Department of Telecommunications, in the offices of Controller of Communication Accounts / National Institute of Communication Finance, Group 'C' Lower Division Clerk posts Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.** - The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person ,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk	371* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-C, Non- Gazetted, Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200-20200 Plus Grade Pay of Rs.1900/-	Non selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation , if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th pass or equivalent from a recognised Board or University, (ii))A typing speed 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35w.p.m and 30.p.m correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)	Yes, to the extent indicated in Col.10.	Two years	(i)85% by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii)10% of the vacancies shall filled from amongst the Group- C Staff in the Grade Pay of Rs.1800/- and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the candidates belonging to the Schedule Caste and Schedule Tribe communities). **Note:** if more of such employees than

			the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority- cum- fitness basis from Group- C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs.1800.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
As stated in Column 10.	**Group- C Departmental Promotion Committee (for confirmation):** 1. Controller of Communication Accounts /Director General (National Institute of Communication Finance) –Chairman. 2. Junior Administrative Grade -level officer in charge of Administration – Member 3. Deputy Controller of Communication Accounts / Deputy Director – Member	Not applicable.

[F. No. 19-01/2011-SEA-III-LDC]
SAURABH K. TIWARI, DDG(E&F)

3387GI/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.